कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश कमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2017 दिनांक 16.07.2017 द्वारा जरिए काउन्सलिंग किया गया। उक्त आदेश में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य सूची में वरिष्ठता कमांक 1226/2013–14 श्री मुकेश कुमार मीणा प्र.अ. को प्रधानाचार्य पद पर पदौन्नति उपरान्त उनके सहमति पत्र के आधार पर राउमावि जोगीवाड, कोटडा उदयपुर पदस्थापित किया गया था।

श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा स्वयं के 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने कें बावजूद भी सामान्य अभ्यर्थी के रूप में काउन्सलिंग में शामिल किये जाने व गृह जिले से वंचित रह जाने से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13437/2017 मुकेश कुमार मीणा व अन्य बनाम सरकार दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन का सकारण जरिए स्पीकिंग ऑर्डर तीन माह में निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उसके बाद के वरिष्ठता कमांक वाले अभ्यर्थियों को जो कि उन्हीं के समान 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, विकलांग का लाभ देकर उनकी काउन्सलिंग याचिकार्थी से पहले किये जाने सम्बन्धी शिकायत की गई है व परिवेदना की गई है कि उन्हें अलवर जिले में राउमावि बसई जोगियान, राउमावि माधोगढ, राउमावि मुण्डनवाडा कला–मुण्डावर अथवा राउमावि कांकरदोपा–बहरोड, अलवर में से किसी एक स्थान पर प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे।

याचिकार्थी की मांग पर विचार किया गया। विभागीय नियमों के अनुसार काउन्सलिंग में 70 प्रतिशत या अधिक विकलांग अभ्यर्थी को ही दिव्यांग प्राथमिकता कम 1 पर रखा जाकर वरीयता में शामिल किया जाता है। याचिकार्थी द्वारा बरवक्त काउन्सलिंग विकलांगता से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दिव्यांग श्रेणी का लाभ याचिकार्थी को देय नहीं था। जिन अभ्यर्थियों को लाभ देने की बात याचिकार्थी द्वारा कही गई है उनके द्वारा काउन्सलिंग के समय अपनी विकलांगता सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे।

याचिकार्थी द्वारा चाहे गए अलवर जिले के राउमावि बसई जोगियान, राउमावि माधोगढ, राउमावि मुण्डनवाडा कला, मुण्डावर व राउमावि कांकरदोपा बहरोड में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को काउन्सलिंग के समय प्रदर्शित नहीं किया गया क्योंकि काउन्सलिंग के समय प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के अनुसार ही पदों को प्रदर्शित किया गया था। अलवर जिले में वर्तमान में प्रधानाचार्य का कोई भी पद स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गृह जिले की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्री मुकेश कुमार मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि जोगीवाड–कोटडा, उदयपुर की गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी मांग खारिज की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मुकेश मीणा/याचिका–13437/2017 दिनांक 29.01.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा , राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अलवर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)